इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक :90 / प्र0अ0(त0स0) / जोन–1 / शमन / C.C/2017–18 दिनांक : 14 / 11 / 2017

विनियमितीकरण–पत्र

यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अर्न्तगत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर निर्मित टाईप डिजाइन भवन को विनियमित किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री शेखर कपूर पुत्र स्व0 पृथ्वी नाथ कपूर द्वारा आराजी संख्या–1 एवं मकान नं0–60 / 19 हरवारा धूमनगंज इलाहाबाद के जोन संख्या (1) के अर्न्तगत दाखिल टाईप डिजाइन भवन संख्या–RH-12D, RH-13D, RH-21M, RH-22N, में रियर सेट बैक के आंशिक भाग पर किये गये निर्माण एवं प्रोजेक्ट मे निर्मित बालकनी का शमन मानचित्र उपाध्यक्ष के स्वीकृति / निर्गमन आदेश दिनांक 09–11–2017 के कम में निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग / अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्ते पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट / इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. प्रोजेक्ट में पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त अतिरिक्त इ0वि0प्रा0 से अनुमति प्राप्त किये बिना कोई भी निर्माण कार्य निषिद्व होगा।
5. प्रोजेक्ट में पूर्व स्वीकृत मानचित्र परमिट संख्या–71 / प्र0अ0–भवन / जोन–1 / R.H/2012–13 दिनांक 12.03.2014 में सृजित भूखण्ड संख्या–RH-9B का निर्माण नही हुआ है एवं क्षेत्रफल मे भी परिवर्तन हो गया है, जिसका मानचित्र Revise स्वीकृत कराना होगा।
6. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू–स्वामित्व का अधिकार प्रदान नही करती है। भू–स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय / प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
7. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अर्न्तगत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
8. इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

(पी0एन0 यादव)
संयुक्त सचिव

परिशिष्ट–6

भाग–द ((प्रपत्र–'ब') पृष्ठ 4/4)

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र :

श्री शेखर कपूर पुत्र स्व0 पृथ्वी नाथ कपूर द्वारा आराजी संख्या–1 एवं मकान नं0–60/19 हरवारा धूमनगंज इलाहाबाद पर निर्मित टाईप डिजाइन भवन पर दिये गये उपरोक्त प्रमाण–पत्र का परीक्षण प्राधिकरण के अवर अभियन्ता श्री बी0एन0 सिंह, सहायक अभियन्ता श्री मानवेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता श्री एस0डी0 शर्मा द्वारा कर लिया गया है। स्थल पर निर्माण एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित मानचित्र परमिट संख्या–71/प्र0अ0–भवन/जोन–1/R.H/2012–13 दिनांक 12.03.2014 एवं शमन मानचित्र दिनांक 13.11.2017 के अनुरूप सही पाया गया है। प्रस्तुत अभिलेखो को संज्ञान मे लेते हुए उपाध्यक्ष के स्वीकृति आदेश दिनांक 09–11–2017 के क्रम में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–15क(2) के अर्न्तगत पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है। स्वीकृत मानचित्र/विनियमितीकरण पत्र में आरोपित किसी भी शर्त का अनुपालन न करने अथवा उल्लंघन करने की दशा में दी गयी अनुज्ञा स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

अभिलेख जो संज्ञान मे लिये गये :–

1. अधि0अभि0 UPPCL बमरौली इलाहाबाद
   पत्रांक : 495/वि0न0खं0/इला0/बी–2
   दिनांक 23.03.2017

हस्ताक्षर ....

पदनाम :संयुक्त सचिव

संयुक्त सचिव,
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

कार्यालय की मुहर ....

दिनांक : 15 नवम्बर, 2017

पत्रांकः 90/प्र0अ0(त0स0–2)/C.C/2017–18
दिनांक : 15 नवम्बर, 2017